रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275673
CG-DL-E-22082026-275673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4400] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 4400] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4580(अ).—ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच अंतर्राज्यिक नदी वंशधारा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वंशधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन 13 सितंबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत किया था;

और ओडिशा राज्य ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन 11 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिकरण को और निर्दिष्ट किया था और केंद्रीय सरकार ने 12 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिकरण को और निर्दिष्ट किया, जिसमें अधिकरण की तारीख 13 सितंबर, 2017 की रिपोर्ट में अभिलिखित विनिश्चय और निष्कर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई थी;

और अधिकरण ने तारीख 05.04.2019 को एक आदेश दिया था, जिसके द्वारा अधिकरण ने निदेश दिया था कि 106 एकड़ भूमि (जिसे ओडिशा राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जाना है) की पहचान करने के लिए, 106 एकड़ भूमि की पहचान

और मानचित्र तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण की कवायद स्वीकृत सन्नियमों का पालन करते हुए कुल स्टेशन पद्धति का उपयोग करके स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए;

और ओडिशा सरकार ने अधिकरण के समक्ष आई.ए. सं. 1/2019 फाइल किया था। अधिकरण ने उक्त आई.ए. पर तारीख 23.09.2019 को विभिन्न संरचनाओं के लिए अपेक्षित 106 एकड़ भूमि की पहचान के पश्चात् क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने के संबंध में अपना आदेश दिया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन 21 जून, 2021 को अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

और ओडिशा राज्य ने उक्त अधिकरण की तारीख 13 सितंबर, 2017 की रिपोर्ट और विनिश्चय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका (सिविल) [एसएलपी (सी)] सं. 8030/2018, उक्त अधिकरण द्वारा तारीख 23 सितंबर, 2019 को आई. ए. सं. 1/2019 में पारित आदेश के विरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 27930/2019 और उक्त अधिकरण द्वारा तारीख 21 जून, 2021 को अग्रेषित अतिरिक्त रिपोर्ट के विरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 15143/2021 फाइल की है। ये एसएलपी माननीय उच्चतम् न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय में लंबित एसएलपी के परिणाम के अधीन रहते हुए, पूर्वोक्त 'अतिरिक्त रिपोर्ट' में अंतर्विष्ट अधिकरण के अंतिम आदेश और विनिश्चय को अधिसूचना संख्या का. आ. 1666 (अ), तारीख 30 मार्च, 2026 के माध्यम से प्रकाशित किया है;

और चूंकि, उक्त अंतिम आदेश का खंड 10 उक्त अधिकरण के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति (Supervisory Committee) और उसका खंड 10 (क) पुनर्विलोकन प्राधिकरण (Review Authority) स्थापित करने का उपबंध करता है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ अधिकरण के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति तथा पुनर्विलोकन प्राधिकरण (Review Authority) का गठन करती है;

2. पर्यवेक्षी समिति में निम्नलिखित होंगे:

क्र.सं.	पदनाम एवं कार्यालय	समिति में पद
1.	मुख्य अभियंता, महानदी और पूर्वी नदी संगठन (MERO), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भुवनेश्वर	अध्यक्ष;
2.	मुख्य अभियंता, उत्तरी तट, विशाखापत्तनम, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश	सदस्य;
3.	मुख्य अभियंता, अंतर-राज्यीय जल मामले, सिचा सदन, भुवनेश्वर, ओडिशा	सदस्य;
4.	अधीक्षक अभियंता (समन्वय), महानदी और पूर्वी नदी संगठन (MERO), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भुवनेश्वर	सदस्य सचिव।

3. उपरोक्त पर्यवेक्षी समिति के निम्नलिखित कृत्य और शक्तियां होंगीः

(i) किनारे के बांध परिसर के बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के गेट के प्रचालन की पर्यवेक्षा करना, जिसमें उन्हें बंद करना भी शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वर्ष में जून से नवंबर मास के दौरान किनारे के बांध परिसर के बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के माध्यम से जल का कुल निकास किसी भी दशा में 8 टीएमसी से अधिक न हो, जो आंध्र प्रदेश राज्य के पानी के हिस्से का 50% भाग है।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि किनारे के बांध परिसर की बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के गेट 1 जून को खुलेंगे और 01 दिसंबर को या उससे पहले बंद हो जाएंगे जैसे ही जल का कुल निकास प्रत्येक वर्ष 8 टीएमसी के बराबर हो जाता है और गेट अगले वर्ष 31 मई तक बंद रहेंगे।

(iv) किनारे के बांध के ऊपर की ओर प्रवाह और बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के माध्यम से बहने वाले प्रवाह का भी अभिलेख अनुरक्षित करना। बाढ़ प्रवाह नहर के परिचालनीय होने पर, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किनारे के बांध के नीचे की ओर प्रवाह 4000 क्यूसेक के बराबर या उससे अधिक है।

(v) किनारे के बांध के पास नदी में जमाव और कटाव का निर्धारण करने के लिए, जैसा आवश्यक समझा जाए, आवधिक सर्वेक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना कि किनारे के बांध का तल स्तर हर समय उसके मूल डिजाइन के अनुसार रहे। प्रस्तावित नेराडी बैराज के सिविल कार्यों के प्रारंभ से ठीक पहले नदी और प्रस्तावित नेराडी बैराज के साथ लगी भूमि का मूल प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। जैसा कि काटरागढ़ा स्थित किनारे का बांध परिचालनीय हो चुका है, इसलिए नदी और काटरागढ़ा स्थित किनारे के बांध के साथ लगी भूमि की वर्तमान प्रोफाइल पर्यवेक्षण समिति (यदि उस समय तक गठित हो) के निदेशों के अनुसार तैयार की जा सकती है, अन्यथा, केंद्रीय जल आयोग के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है।

(vi) नदी के बर्ताव पर कड़ी नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि यदि काटरागढ़ा स्थित किनारे के बांध के सामने या नेराडी बैराज के पास नदी के ऊपरी हिस्से में गाद या तलछट जमा हो जाए, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से जब कभी अपेक्षित हो उसे साफ कराया जाएगा।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि नेराडी बैराज के चालू होने के तुरंत पश्चात किनारे के बांध को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और उसे पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक कर दिया जाए। नदी के किनारे को काटकर निर्मित किनारे के बांध के स्थान पर ही किनारे के बांध को बंद किया जाएगा। किनारे के बांध को उस ऊंचाई तक बंद किया जा सकता है जहां तक नदी के मूल प्राकृतिक किनारों की ऊंचाई है।

(viii) नेराडी बैराज से प्रवाह के विनियमन की पर्यवेक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके:
(क) कि नेराडी बैराज पर वंशधारा नदी से जल आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून से 30 नवंबर की अवधि के दौरान निकाला जाता है।

(ख) कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 31 मई की अवधि के दौरान, नेराडी बैराज तक पहुँचने वाला संपूर्ण जल दोनों राज्यों द्वारा उपयोग के लिए नदी में प्रवाहित होता है।

(ix) ओडिशा के उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना, यदि कोई हो, जो नेराडी बैराज के पश्च जल के जलस्तर में वृद्धि के कारण प्रभावित हुए हों और बाढ़ प्रभावित कुटुंबों/व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के संबंध में सिफारिशें देने हेतु निर्धारण करना। इस प्रयोजन के लिए, समिति किसी भी सदस्य को सह-विकल्पित कर सकती है, जैसा उचित समझे।

4. समिति अपने कार्यालय के लिए स्थान का चयन करेगी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा।

5. कार्यालय के रखरखाव और मॉनिटरी क्रियाकलाप के संचालन के लिए सभी व्यय आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे।

6. पुनर्विलोकन प्राधिकरण (Review Authority):-

(1) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार, एकल सदस्यीय पुनर्विलोकन प्राधिकारी होंगे।

(2) पर्यवेक्षी समिति का संकल्प/निदेश किसी भी पक्षकार राज्य के आवेदन पर पुनर्विलोकनीय होगा और कोई पुनर्विलोकन याचिका पर पुनर्विलोकन प्राधिकारी का विनिश्चय, यदि किसी एक को अधिमानता दी गई तो, अंतिम और दोनों राज्यों पर बाध्यकारी होगा।

(3) पुनर्विलोकन प्राधिकरण मामले में कोई **विनिश्चय** लेने से पहले पुनर्विलोकन याचिका के पक्षकार राज्यों को सुनवाई का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो, तो पुनर्विलोकन याचिका पर पर्यवेक्षी समिति के अभिलेख और टिप्पणियां भी मंगवा सकेगा।

(4) पुनर्विलोकन प्राधिकरण का **विनिश्चय** लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एन-60021/1/2021-बी एम अनुभाग एम ओ डब्ल्यू आर]
प्रदीप कुमार अग्रवाल ,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

S.O. 4580(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted *vide* notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof between the State of Odisha and State of Andhra Pradesh;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;

And whereas, the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 seeking clarification/explanation in respect of the decision and findings recorded in the Report of the Tribunal dated the 13th September, 2017;

And whereas, the Tribunal gave an Order dated 05.04.2019 whereby the Tribunal had directed that in order to identify 106 acres of land (to be acquired by State of Odisha), an exercise of the survey for identification and preparation of the map for 106 acres of land should be carried out through a topographical survey adhering to the accepted norms using Total Station method;

And whereas, the Government of Odisha filed I.A. No.1 of 2019 before the Tribunal. The Tribunal gave its Order in the said I.A. on 23.09.2019 regarding preparation of the map of the area after identification of 106 acres of land required for various structures;

And whereas, the said Tribunal submitted its further Report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 21st June, 2021;

And whereas, the State of Odisha has filed Special Leave Petition (Civil) [SLP (C)] No. 8030/2018 against the report and decision of the said Tribunal dated the 13th September, 2017, SLP (C) No. 27930/2019 against the Order dated the 23rd September, 2019 passed by the said Tribunal in the I.A. No. 1 of 2019 and SLP (C) No. 15143/2021 against the further Report dated the 21st June, 2021 forwarded by the said Tribunal. These SLPs are pending under consideration before the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government, subject to the outcome of SLPs pending in Hon'ble Supreme Court, published the Final Order and decision of the Tribunal, as contained in the aforesaid further Report, *vide* notification number. S.O.1666 (E), dated the 30th March, 2026;

And whereas, Clause X of the said Final Order provides for setting up of a Supervisory Committee and Clause X (A) thereof provides for Review Authority for implementing the decision of the said Tribunal.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the said Act, the Central Government hereby constitutes Supervisory Committee and Review Authority for implementing the decisions of the Tribunal.

2. The Supervisory Committee shall consist of :-

1.	Chief Engineer, Mahanadi and Eastern River Organisation (MERO), CWC, Bhubaneswar	Chairman;
2.	Chief Engineer, North Coast, Visakhapatnam, Water Resources Department, Andhra Pradesh	Member;
3.	Chief Engineer, Interstate Water Issues, Secha Sadan, Bhubaneswar, Odisha	Member;
4.	Superintending Engineer (Coordination), Mahanadi and Eastern River Organisation (MERO), CWC, Bhubaneswar	Member Secretary.

3. The Supervisory Committee shall have following functions and powers: -

(i) to supervise the operation of the gates, of the Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, including the closure of the same;

(ii) to ensure that total drawal of water through Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, during the months of June to November in any year shall not in any case exceed 8 TMC, constituting a part of 50% share of water of the State of Andhra Pradesh;

(iii) to ensure that the gates of the Head Regulator of the Flood Flow Canal of Side Weir complex, shall open on 1st June and close on 1st December or earlier as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC every year and the gates shall so remain closed till 31st May of next year;

(iv) to maintain the record of the flow upstream of the Side Weir and also of the flow passing through the Head Regulator of Flood Flow Canal. When the Flood Flow Canal is operational, it may be ensured that the flow downstream of the Side Weir is equal to or more than 4000 cusecs;

(v) to make periodical survey, as it deems necessary, for assessing aggradation and degradation in the river near the Side Weir and take appropriate steps thereto so as to ensure that the bed level of the Side Weir at all times shall be as per its original design.

Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission;

(vi) to keep a close watch on the river behavior and to ensure that if there be any silting or sedimentation in front of the Side Weir at Katragada or upstream near the Neradi Barrage, the same shall be got cleared, as and when required, through the State Government of Andhra Pradesh;

(vii) to ensure that the Side Weir is totally plugged and made completely non-functional immediately after commissioning of the Neradi Barrage.

The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river;

(viii) to supervise the regulation of flows from Neradi Barrage so as to ensure-

(a). that the water from Vansadhara river at Neradi Barrage is withdrawn by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the period from 1st of June to 30th of November every year;

(b). that during the period from 1st December to 31st May every year, entire water reaching Neradi Barrage, flows down the river for use by both the States;

(ix) to visit the flood affected areas of Odisha, if any, impacted due to the backwater of Neradi Barrage beyond its pool level and make assessment for giving recommendations regarding compensation to be paid to the flood affected families/persons. For this purpose, the Committee may co-opt any member(s) as it deems fit.

4. The Committee shall select the place for its office which shall be provided by the State of Andhra Pradesh.

5. The expenses for the maintenance of office and all expenses for conducting the monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh.

6. Review Authority:-

(1). **The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India Shall be the Single Member Review Authority.**

(2). The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States.

(3). The Review Authority shall give an opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter and if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition.

(4). The decision of the Review Authority shall be recorded in writing.

7. This issue with the approval of the Competent Authority.

[F. No. N-60021/1/2021-BM Section MOWR]

PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.22 10:47:59 +05'30'